राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	100/2025 हनुमान बनाम पूनम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 07/01/2026 को पेश हो।	
07/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/01/2026 को पेश हो।	
08/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12/06/2023 पारित करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 18 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08/01/2025 पारित करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 08/01/2025 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि मूल प्रकरण घोषणा का है, जिसमे रेस्पो. रिकार्डेड खातेदार है एवं अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की निरन्तरता से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेता है, ऐसेमें घोषणा का बिन्दु समस्त साक्ष्य-सबूतों के विस्तृत परिक्षण उपरान्त वाद के अन्तिम निस्तारण के वक्त तय होना शेष है। ऐसी स्थिति में यदि घोषणा के निस्तारण से पूर्व विवादग्रस्त भूमि का अन्यत्र बैचान/हस्तान्तरण होकर उसे कृषि से अकृषि में अपुर्तनीयक्षति कारित होना तथा प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना सम्भव है, जिसे न्यायहित में रोका जाना आवश्यक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से अपीलार्थी के क्रेता होने की स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण भी अपीलार्थी के हक़ में जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08/01/2025 न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाता है एवं ताफैसला मूल वाद	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**हनुमान बनाम पूनम** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1001/0.18, 1002/024, 1003/0.34 के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	